



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/ सरगुजा/बॉक्साईड/०७ छ०ग० 16013

दिनांक:-15/01/2020

प्रति,

श्री अजीत वसंत, (भा०प्र०से०) नॉमिनेटेड ओनर,
सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
सोनाखान भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड क्रमांक -1, पुरैना,
पोस्ट-रविग्राम, रायपुर, जिला-रायपुर (छ०ग०)-492001

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपकी केसरा बॉक्साईड खदान 9.00 हे० में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22/11/2019 को श्री ए०
पी० शाह, एजेन्ट (माईन्स) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि
आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
Rule 11(1)	<p>The following deviations have been found in the mine from the approved Review of Mining Plan vide letter no. SRG/BX/MPLN/1174/2018/RPR Raipur dated 28/11/2018 for the period of F.Y. 2018-19 to 2020-21:</p> <p>Boundary Pillars: Boundary Pillars are not been constructed and maintained as per specification mentioned in MCR, 2016.</p> <p>Development: In the approved Review of Mining Plan, there was a proposal given for the production and development during the financial year 2018-19: In between local co-ordinates N385 to N485 and E045 to E165 2019-20: In between local co-ordinates (1) N390 to N495 and E045 to E190 (2) N160 to N400 and E025 to E275 Whereas, production and development is being done in irregular and unscientific manner, everywhere within lease area. In addition to the proposed area, development and production of mineral has been done along lease boundary pillar no. BP-2 to BP-5 at 7.5 m barrier zone without proposal and in most of places 7.5m barrier zone has been mined out.</p> <p>Disposal of Waste: In the approved Review of Mining Plan, there was proposal given for temporary dumping in between local co-ordinates N375 to N450 and E150 to E255. Whereas, in addition to the proposed area for waste dumping, several other small dumps have been made within lease area.</p> <p>Afforestation: There was a proposal given for plantation of 1600 nos. of plants during the financial year 2018-19. Whereas, NIL plants have been planted so far.</p> <p>Compliance of Environmental monitoring: There was a proposal given for quarterly monitoring of Ambient Air, Water Quality and Noise Vibration. Whereas, monitoring has not been done.</p>
Rule 19 (1), (2) & (3)	Log book of heavy earth moving machinery used in the mines is not been maintained and made available during inspection.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the financial year 2018-19.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the financial year 2018-19.
Rule 35	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines for the financial year 2018-19 has not been submitted.

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 45 (5) (b)	मासिक विवरणियाँ : खान की माह नवंबर 2018 से मार्च 2019 की मासिक विवरणीयाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणियाँ की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणियाँ संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। चूंकि खान में खनन संक्रियाएं दिनांक 09/11/2018 को प्रारंभ की जा चुकीं हैं अतः मासिक विवरणियाँ जमा किया जाना अनिवार्य है।
Rule 45 (5) (c)	वार्षिक विवरणियाँ : खान की वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणियाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणियाँ की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणियाँ www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। चूंकि खान में खनन संक्रियाएं दिनांक 09/11/2018 को प्रारंभ की जा चुकीं हैं अतः वार्षिक विवरणियाँ जमा किया जाना अनिवार्य है।
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of the Nominated Owner, Agent (Mines), Manager (Mines), Mining Engineer and Geologist have not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत:-
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
 (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
 कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
 भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) -440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) -440001
4. श्री ए0 पी0 शाह, एजेन्ट (माईन्स), सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,, कार्मल स्कूल के पीछे गृह निर्माण कॉलोनी, नमनाकला, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़), पिन कोड- 497 001

(शैवाल कार्तिकेय)
 कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
 भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर